

ग्राम पंचायत जौणाजी, विकास खण्ड व जिला सोलन, हि० प्र० - 173212 के अवधि

01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत जौणाजी, विकास खण्ड व जिला सोलन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति जयवन्ती	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री हेमन्त शर्मा	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजेश ठाकुर	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति उषा	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत जौणाजी के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तःशेष में अन्तर पाया जाना	0.63
02.	4.3	रोकड़ बहियों में फर्जी प्रविष्टियाँ पाई जाना	0.01
03.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	20.62
04.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.16
05.	8.1	वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 03/2024 के दौरान आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान पाया जाना	3.70
06.	8.2	आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.20
07.	8.3	आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	0.06
08.	8.4	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	1.83
09.	8.5	मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.83
10.	8.6	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही	8.58

		स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	
11.	8.7	वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 03/2024 के दौरान विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	25.82
12.	9.1	स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना व्यय करने बारे	1.10
13.	9.2	स्व: स्त्रोत के बैंक खाते से चेक रूप लाल (चौकीदार) के नाम पर जारी करके, उस राशि को नगदी के रूप में व्यय करने बारे	1.45
14.	10.1	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	3.04

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत जौणाजी का अंकेक्षण अवधि 01/04/2013 से 31/03/2016 के लिये किया गया था जिन्हें 08.01.2024 से 12.01.2024 की सोलन जिले के विशेष अभियान के अंतर्गत सभी पैरों को निर्णित किया गया है, जिसकी पुष्टि हिमाचल राज्य लेखा परीक्षा विभाग पत्र संख्या Fin(LA)H(2)C(15)(XIV)339/24 Vol-1-423 दिनांक 19.02.2024 द्वारा की गई है।

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत जौणाजी, विकास खण्ड व जिला सोलन के अवधि 01/04/22 से 31/03/234 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06.11.2024 से 18.11.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	03/2023	08/2022
2023-24	03/2024	03/2024

अस्वीकरण (Disclaimer): - इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 12/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक : Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया की नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक 14/2024 दिनांक 06.11.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट - "क" और "ख" में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	201212.31	109011.00	310223.31	103696.96	206526.35
2023-24	206526.35	95288.00	301814.35	115665.00	186149.35

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2048613.50	6409968.30	8458581.80	5955879.70	2502702.10
2023-24	2502702.10	4601022.60	7103724.70	5041821.60	2061903.10

कुल योग (1+2) = 186149.35 + 2061903.10 = 2248052.45

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹22,48,052.45** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹21,85,306.14** (परिशिष्ट -"ग") से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को (₹)
1	सभा निधि (Own Source), क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोष (SDRF), 5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC), विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.), विकास में जन सहयोग (V.M.J.S), स्वच्छ भारत	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित सोलन	101234029000041	489971.04

	मिशन (S.B.M.), मुख्यामंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY), 14 वां वित्त आयोग (14th FC			
2	5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC), सभा निधि (Own Source),	Indusind बैंक सोलन	100201245832	163511.00
3	सभा निधि (Own Source), 13 वां वित्त आयोग (13th FC), स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.)	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित सोलन	101234001000772	19497.00
4	एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम (IWMP)	भारतीय स्टेट बैंक जौणाजी	33619133059	156006.60
5	राजीव आवास योजना पूर्ववर्ती अटल आवास योजना (RAYEAAAY)	भारतीय स्टेट बैंक जौणाजी	11521992489	2351.00
6	14 वां वित्त आयोग (14th FC), सभा निधि (Own Source),	HDFC बैंक सोलन	50100154267655	45788.00
7	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	Indusind बैंक सोलन	151792246080	1308181.50
	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			0.00
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :				2185306.14
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-				2248052.45
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				2185306.14
अंतर :-				62746.31

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तःशेष में राशि ₹0.63 लाख का अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार ₹62,746.31 की राशि का अन्तर पाया गया, इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर NII दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि भविष्य में मिलान कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोल जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण खाता-ख खोल जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्तोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार सभा निधि (Own Source), 5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC), विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.), क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोष (SDRF), स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.), विकास में जन सहयोग (V.M.J.S), 14 वां वित्त आयोग (14TH FC) शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के लिये नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध एक ही बैंक खाते का उपयोग किया जा रहा है, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त कुछ अनुदानों के लिये एक से अधिक खाते का उपयोग किया जा रहा है जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/जौणाजी दिनांक 16.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व खाता "क" व "ख" को पृथक करना सुनिश्चित किया जाए और स्व:-स्तोत, स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.), 14 वां वित्त आयोग (14TH FC) अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 रोकड़ बहियों में राशि ₹0.01 लाख की फर्जी प्रविष्टियाँ पाई जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रतः प्रविष्ट किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित विवरण अनुसार विभिन्न रोकड़ बहियों में दर्ज आय व्यय की प्रविष्टियाँ पाई गई जिनका सम्बन्धित बैंक खातों की पासबुकों से मिलान उपरांत कोई लेन-देन दर्ज नहीं था जिस कारण उक्त प्रविष्टि फर्जी प्रतीत होती है।

(i) आय

अनुदान	क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही वॉचर संख्या	विवरण रोकड़ बही अनुसार	राशि (₹)	टिप्पणी
OWN	1	01.02.2024	OWN/2023-24/P/47	Correction entry	890.31	Amount not reflecting in pass book @ income side
कुल					890.31	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/जौणाजी दिनांक 16.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि Online cashbook में गलती से यह इन्द्राज की गई है, जिसको केवल खाता दुरुस्ती के लिये इन्द्राज किया गया था, इस सम्बन्ध में सही entry डालकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा व भविष्य में इस प्रकार की कोई प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की जायेगी, जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर रोकड़ बहियों की जांच की जाये व वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप - 11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.5 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही असंधारित है व भविष्य में नियमानुसार संधारण कर लिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.6 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिये अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान वर्गीकृत सार रजिस्टर के अभाव के कारण पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्गीकृत सार रजिस्टर को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹20.62 लाख का अवरोधन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्यायना क्रमांक 14/2024 दिनांक 06.11.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि परिशिष्ट - " क " व परिशिष्ट - " ख " पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹ 20,61,903.10 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट हो सका। विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि भविष्य में समस्त संकर्म के आदेश/ स्वीकृति पत्रों को प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.16 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹15,800.00 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - "घ" पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करें एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 रॉयल्टी से सम्बन्धित फॉर्म प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को केवल चयनित माह में ₹3.70 लाख का भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार / विक्रेता खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म एक्स या डब्ल्यू प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 पेनल्टी के साथ करना होगा परन्तु निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 20-11-2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना

में अब ठेकेदार विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म एक्स या डब्ल्यू प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 03/2024 के वाउचरों के भुगतान में आपूर्तिकारों से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उच्चा ट्रांजिट प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलग **परिशिष्ट- "ड"** अनुसार ₹3,70,125.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 07/2024/जौणाजी दिनांक 18/11/2024 जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि तथ्यों की पुष्टि उपरांत बताया जाता है कि नियमों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों पर प्रयोग की गई सामग्री (रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि) के बिलों के समर्थन में ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई और भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा इस त्रुटि को स्वीकार करती है।

अतः उक्त भुगतान को पूर्ण लेखसहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण केवल चयनित माह में राशि ₹0.20 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अंतर्गत क्रम (2.1.2.13) में पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की 12.5% दर से कटौती करना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय चयनित माह 08/2022 व 03/2024 के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/जौणाजी दिनांक 14.11.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार आपूर्तिकर्ता को अंकेक्षण अवधि के दौरान पत्थरों की खरीद हेतु 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि ₹ 1,60,650.00 का भुगतान किया गया जिस पर राशि ₹ 20,081.25 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " च "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी व आपूर्तिकर्ता से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से की जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से सम्बन्धित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.06 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2021 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹ 2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतरराज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय चयनित माह 08/2022 व 03/2024 के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं

अनदेखी के परिणामस्वरूप पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक 13/2024 दिनांक 28.10.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल राशि **₹2,79,300.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹5,586.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट " छ " में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में आपूर्तिकर्ता से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी जिस पर नियमपूर्वक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी., टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने के उपरांत सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी., टी.डी.एस. से सम्बन्धित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 अग्रिम राशि ₹ 1.83 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और पंचायत सचिव द्वारा अध्याचना क्रमांक 14/2024 दिनांक 06.11.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना एवं व्यय चयनित माह 08/2022 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित को सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹ 1,83,426.00** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का

समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट " ज " में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा बताया गया की अभिलेख शीघ्र तैयार कर अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित फतेहपुर को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.5 राशि ₹1.83 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा अधियाचना क्रमांक 14/2024 दिनांक 06.11.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना एवं व्यय चयनित माह 08/2022 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दार्शनिक बिल (Proforma Bill) के आधार पर परिशिष्ट " ज " पर संलग्न विवरणानुसार राशि ₹ 1,83,426.00 का अग्रिम भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित को सीमेंट के क्रय हेतु किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से सम्बन्धित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये जिस कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित फतेहपुर से मूल बिल प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल प्राप्त कर नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.6 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹ 8.58 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि ₹ 8,57,882.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट " झ " में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nii दिनांक 18.11.2024 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में त्रुटि हुई है जिसे भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित एवं नियमानुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये इसको सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.7 विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि ₹25.82 लाख से सम्बन्धित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना

नहीं किया जा सकता है और नियम 79 के अनुसार पंचायत सचिव को अंकेक्षण के दौरान पंचायत के समस्त अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कुल स्वीकृत राशि **₹25,81,999.00** के विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ज" में दिया गया है। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/मजदूरी के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.1 स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹ 1.10 लाख के व्यय करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही निम्न विवरण अनुसार **₹1,10,390.00** का व्यय किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत स्वः-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नहीं किया गया	राशि (₹)
1	OWN/2022-23/P/1	06.05.2022	Salary Chokidar Nov 21 to	1500

			Mar 22	
2	OWN/2022-23/P/2	06.05.2022	Telephone Bill	700
3	OWN/2022-23/P/3	06.05.2022	Office Expanse Vr. No. 2	440
4	OWN/2022-23/P/4	27.05.2022	Telephone Bill	610
5	OWN/2022-23/P/5	27.05.2022	Pani ka Bill V. No. 4	11383
6	OWN/2022-23/P/6	27.05.2022	Electric Bill V. No. 5-6	1234
7	OWN/2022-23/P/7	27.05.2022	Office expenditure V. No. 7	560
8	OWN/2022-23/P/8	24.04.2022	Office Expanse	1310
9	OWN/2022-23/P/9	24.06.2022	Electric Bill	251
10	OWN/2022-23/P/10	18.07.2022	Jalpan Gram Sabha 20.04.2022	4020
11	OWN/2022-23/P/11	18.07.2022	Jalpan Gram Panchayat April- June 22	2160
12	OWN/2022-23/P/12	18.07.2022	Telephone Bill	997
13	OWN/2022-23/P/13	28.07.2022	Office expen. V. No. 15	750
14	OWN/2022-23/P/14	28.07.2022	Elec. Bill V. No. 15	117
15	OWN/2022-23/P/17	31.08.2022	Telephone Bill	660
16	OWN/2022-23/P/18	09.09.2022	Office Expenditure	690
17	OWN/2022-23/P/19	09.09.2022	Jalpan Gram Sabha offiice expen	3900
18	OWN/2022-23/P/21	18.10.2022	Telephone Exp.	663
19	OWN/2022-23/P/22	18.10.2022	Jal Pan gram sabha	2560
20	OWN/2022-23/P/24	18.10.2022	Office Exp.	540
21	OWN/2022-23/P/25	10.11.2022	Telephone Bill	1100
22	OWN/2022-23/P/26	10.11.2022	Wages Chokidar Apr to Sep 2022	1800
23	OWN/2022-23/P/27	10.11.2022	Jal Pan gram sabha	1600
24	OWN/2022-23/P/28	24.11.2022	Ele. Bill 833+910	1743

25	OWN/2022-23/P/29	24.11.2022	Office Expense	860
26	OWN/2022-23/P/30	13.12.2022	Telephone Bill	1064
27	OWN/2022-23/P/31	13.12.2022	Office Expenditure	700
28	OWN/2022-23/P/32	14.12.2022	Telephone Bill	730
29	OWN/2022-23/P/34	28.12.2022	Repair Computer	2200
30	OWN/2022-23/P/35	28.12.2022	Ele. Bill	447
31	OWN/2022-23/P/36	09.01.2023	Office expen.	300
32	OWN/2022-23/P/37	19.01.2023	Telephone Bill	706
33	OWN/2022-23/P/38	19.01.2023	Jalpan Gram Sabha 3000+1600	4600
34	OWN/2022-23/P/39	09.02.2023	Office expenditure	3166
35	OWN/2022-23/P/40	09.02.2023	Telephone Bill	710
36	OWN/2022-23/P/41	04.03.2023	Elec. Bill	1412
37	OWN/2022-23/P/42	04.03.2023	Office Expen.	270
38	OWN/2022-23/P/43	07.03.2023	Wages Chokidar Oct 22 to Jan 23	1200
39	OWN/2022-23/P/44	07.03.2023	Mahajan Traders	810
40	OWN/2022-23/P/45	07.03.2023	Repair Computer	300
41	OWN/2022-23/P/46	20.03.2023	Office Expen.	2500
42	OWN/2022-23/P/47	23.03.2023	Jal Pan gram sabha	1530
43	OWN/2022-23/P/48	29.03.2023	Ele. Bill 160+288	448
44	OWN/2022-23/P/49	29.03.2023	Wages Chokidar Feb 2023	300
45	OWN/2022-23/P/50	29.03.2023	Jal Pan gram sabha	4740
46	OWN/2022-23/P/51	29.03.2023	Jalpan Panchyat Meeting July-March 23	4320
47	OWN/2023-24/P/1	17.04.2023	Pani Ka bill	4176
48	OWN/2023-24/P/2	17.04.2023	Elec. Bill 299+138	437
49	OWN/2023-24/P/3	17.04.2023	Telephone Bill	1414

50	OWN/2023-24/P/5	19.04.2023	Office Expen	900
51	OWN/2023-24/P/8	25.05.2023	Office Expan.	880
52	OWN/2023-24/P/10	05.06.2023	Elec. Bill	438
53	OWN/2023-24/P/9	05.06.2023	Wages Chokidar Mar 23	300
54	OWN/2023-24/P/13	28.06.2023	Elec. Bill 183+129	312
55	OWN/2023-24/P/15	24.07.2023	Wages to Chowkidar	300
56	OWN/2023-24/P/16	24.07.2023	Telephone Bill	1000
57	OWN/2023-24/P/17	24.07.2023	Jalpan Gram Sabha18.07.23 Vr. No. 45	3900
58	OWN/2023-24/P/18	24.07.2023	Office Expan.	540
59	OWN/2023-24/P/19	08.08.2023	Office Expen. V. No. 47-48	860
60	OWN/2023-24/P/21	19.08.2023	Wages to Chowkidar July 23	260
61	OWN/2023-24/P/29	13.09.2023	Office Expenditure	250
62	OWN/2023-24/P/35	16.11.2023	Office Expense	560
63	OWN/2023-24/P/45	30.01.2024	Office expenditure	940
64	OWN/2023-24/P/46	30.01.2024	Elec. Bill	923
65	OWN/2023-24/P/49	28.02.2024	Telephone Bill	950
66	OWN/2023-24/P/50	28.02.2024	Jalpan Gram Sabha	1920
67	OWN/2023-24/P/51	14.03.2024	Pani ka Bill	3828
68	OWN/2023-24/P/52	14.03.2024	Elec. Bill	1545
69	OWN/2023-24/P/53	14.03.2024	Telephone bill	950
70	OWN/2023-24/P/54	14.03.2024	Jalpan Gram Sabh	1860
71	OWN/2023-24/P/56	20.03.2024	Office Expenditure	5147
72	OWN/2023-24/P/57	26.03.2024	Office Expenditure	1200
कुल योग				110391

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि यह गलती हुई है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जाएगा।

अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.2 स्वः स्त्रोत के बैंक खाते से राशि ₹ 1.47 लाख का आहरण चेक द्वारा रूप लाल (चौकीदार) के नाम पर जारी करके उस राशि को नगदी के रूप में संदिग्ध व्यय करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज { वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत से ₹147892.00 की राशि की निकासी चेक द्वारा रूप लाल (चौकीदार) के नाम पर जारी करके, उसे नगदी के रूप में संदिग्ध व्यय किया गया था जिस राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नहीं किया गया	राशि (₹)	चेक संख्या .	किसको जारी किया
1	OWN/2022-23/C/1	27.05.2022	Withdrawal cash in hand	13246	554363	Roop Lal
2	OWN/2022-23/C/2	24.06.2022	Cash in Hand (Withdrawal)	1561	554366	Roop Lal
3	OWN/2022-23/C/3	18.07.2022	Cash in Hand (Withdrawal) Bill Payment	7180	554367	Roop Lal
4	OWN/2022-23/P/15	25.08.2022	15th Aug Sood sweet (Roop Lal)	8568	554370	Roop Lal
5	OWN/2022-	09.09.2022	Payment Jalpan Gram	4590	554372	Roop

	23/C/5		Sabha (Withdrawal)			Lal
6	OWN/2022-23/C/6	18.10.2022	Cash in Hand (Withdrawal)	3780	554379	Roop Lal
7	OWN/2022-23/C/7	10.11.2022	Payment for Bill (Withdrawal)	4100	556041	Roop Lal
8	OWN/2022-23/C/8	24.11.2022	Cash in Hand (Withdrawal)	2600	556044	Roop Lal
9	OWN/2022-23/C/9	13.12.2022	Cash in Hand (Withdrawal)	1800	556047	Roop Lal
10	OWN/2022-23/C/10	14.12.2022	Cash in Hand (Withdrawal)	1000	556048	Roop Lal
11	OWN/2022-23/P/33	26.12.2022	Office expenditure (Roop Lal) (Withdrawal)	3600	556050	Roop Lal
12	OWN/2022-23/C/11	28.12.2022	Cash in Hand (Withdrawal)	2900	556051	Roop Lal
13	OWN/2022-23/C/12	19.01.2023	Office expenditure (Roop Lal) (Withdrawal)	5000	556058	Roop Lal
14	OWN/2022-23/C/13	09.02.2023	Cash in Hand (Withdrawal)	3200	556382	Roop Lal
15	OWN/2022-23/C/13	29.03.2023	Cash in Hand (Withdrawal)	5000	556392	Roop Lal
16	OWN/2023-24/C/3	17.04.2023	Cash in Hand (Withdrawal)	6300	556393	Roop Lal
17	OWN/2023-24/P/4	19.04.2023	Jal pan gram sabha 18.04.23 (Withdrawal)	4080	556394	Roop Lal
18	OWN/2023-24/P/7	17.05.2023	Telephone bill (Withdrawal Roop Lal)	950	556398	Roop Lal
19	OWN/2023-	05.06.2023	Cash in Hand (Withdrawal)	700	556842	Roop

	24/C/4					Lal
20	OWN/2023- 24/C/5	24.07.2023	Cash in Hand (Withdrawal) Roop Lal	5740	556853	Roop Lal
21	OWN/2022- 23/C/1	27.05.2022	Withdrawal cash in hand	13246	554361	Roop Lal
22	OWN/2022- 23/C/2	24.06.2022	Cash in Hand (Withdrawal)	1561	554366	Roop Lal
23	OWN/2022- 23/C/3	18.07.2022	Cash in Hand (Withdrawal) Bill Payment	7180	554367	Roop Lal
24	OWN/2022- 23/C/5	09.09.2022	Payment Jalpan Gram Sabha (Withdrawal)	4590	554370	Roop Lal
25	OWN/2022- 23/C/6	18.10.2022	Cash in Hand (Withdrawal)	3780	554379	Roop Lal
26	OWN/2022- 23/C/7	10.11.2022	Payment for Bill (Withdrawal)	4100	556043	Roop Lal
27	OWN/2022- 23/C/8	24.11.2022	Cash in Hand (Withdrawal)	2600	556044	Roop Lal
28	OWN/2022- 23/C/9	13.12.2022	Cash in Hand (Withdrawal)	1800	556047	Roop Lal
29	OWN/2022- 23/C/10	14.12.2022	Cash in Hand (Withdrawal)	1000	556048	Roop Lal
30	OWN/2022- 23/P/33	26.12.2022	Office expenditure (Roop Lal) (Withdrawal)	3600	556050	Roop Lal
31	OWN/2022- 23/C/11	28.12.2022	Cash in Hand (Withdrawal)	2900	556051	Roop Lal
32	OWN/2022- 23/C/12	19.01.2023	Office expenditure (Roop Lal) (Withdrawal)	5000	556058	Roop Lal
33	OWN/2022-	09.02.2023	Cash in Hand (Withdrawal)	3200	556382	Roop

	23/C/13					Lal
34	OWN/2022- 23/C/13	29.03.2023	Cash in Hand (Withdrawal)	5000	556391	Roop Lal
35	OWN/2023- 24/P/14	06.07.2023	Telephone bill 1000, Jalpan G/sabha	2440	556850	Roop Lal
कुल राशि				147892		

यह गम्भीर वित्तीय अनियमितता है एवं स्पष्टतः राशि के दुर्विनियोजन या गबन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि यह गलती हुई है व वभिष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जाएगा। प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अंतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर विभागीय स्तर पर जाँच उपरांत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.1 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹ 3.04 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 03/2024 के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹ 3,04,417.00 के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ट" में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 (क्रमांक संख्या 12) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं

किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रतिउत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.2 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/जौणाजी दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. विविध अनियमितताएं :-

11.1 निर्माण कार्यों की नमूना जाँच न करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों के ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्यांकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी

सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नमूना जाँच एवं प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11.3 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा। पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत का आय-व्यय निर्धारित प्रपत्र 34 पर नियमित रूप से ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा है जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

12. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

1. हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता	29(1)	07
4.	वर्गीकृत संक्षिप्त सार	29(4)	08
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	वेतन जांच रजिस्टर	58	18
9.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
10.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
11.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
12.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
13.	तकनीकी जाँच पड़ताल और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31

2. हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 अनुसार

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
4.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
5.	कर रजिस्टर	34	16
6.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 105(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/जौणाजी दिनांक 11.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्ट्रों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13.1 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.002 लाख की अंकेक्षण के दौरान वसूली बारे :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्या: PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 200.00 की कम वसूली की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ठ" में संलग्न है। जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/जौणाजी दिनांक 12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि को वसूली करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाये अवलोकन उपरांत पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

13.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात् दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई कुल राशि ₹ 5,400.00 को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/जौणाजी दिनांक 12.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक Nil दिनांक 18.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

15. निष्कर्ष :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

17 JAN 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 01.01.25
सहायक निदेशक

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2626670

572-576

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) 15 (4) 12/2017 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सोलन जिला सोलन हि०प्र०।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत जौणाजी, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

17 JAN 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 01.01.25
सहायक निदेशक

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009

दूरभाष-0177-2626670

(परिशिष्ट "क" " पैरा संख्या "4क/6.1 " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP JAUNAJI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	201212.31	109011.00	310223.31	103696.96	206526.35
2023-24	206526.35	95288.00	301814.35	115665.00	186149.35

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2048613.50	6409968.30	8458581.80	5955879.70	2502702.10
2023-24	2502702.10	4601022.60	7103724.70	5041821.60	2061903.10



सचिव
ग्राम पंचायत, जांजाजी
Hemant Kumar

(परिशिष्ट "ख" " पैरा संख्या "4क961" के संदर्भ में)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP JAUNAJI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5thSFC	2022-23	125627.00	399611.00	525238.00	301181.00	224057.00
		2023-24	224057.00	937716.00	1161773.00	767349.00	394424.00
2	VKVNY	2022-23	0.00	210000.00	210000.00	153677.00	56323.00
		2023-24	56323.00	191250.00	247573.00	247573.00	0.00
3	SDP	2022-23	822.00	502500.00	503322.00	389983.00	113339.00
		2023-24	113339.00	1787353.00	1900692.00	1742692.00	158000.00
4	VMJS	2022-23	0.00	992500.00	992500.00	992500.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SBM	2022-23	53024.00	0.00	53024.00	7924.00	45100.00
		2023-24	45100.00	0.00	45100.00	0.00	45100.00
6	IWDP	2022-23	554726.50	800750.60	1355477.10	1206540.50	148936.60
		2023-24	148936.60	4070.00	153006.60	0.00	153006.60
7	RAYEAAAY	2022-23	2110.00	0.00	2110.00	0.00	2110.00
		2023-24	2110.00	0.00	2110.00	0.00	2110.00
8	MMGPY	2022-23	1081.00	0.00	1081.00	0.00	1081.00
		2023-24	1081.00	0.00	1081.00	0.00	1081.00
9	15TH FC	2022-23	1311223.00	1646322.00	2957545.00	1045789.50	1911755.50
		2023-24	1911755.50	322874.00	2234629.50	926448.00	1308181.50
10	MGNREGA	2022-23	0.00	1858284.70	1858284.70	1858284.70	0.00
		2023-24	0.00	1357759.60	1357759.60	1357759.60	0.00



सचिव
ग्राम पंचायत, जाणजी

Hemant Kumar

34

33-

कार्यालय ग्राम पंचायत जौणाजी, विकास खण्ड व जिला सोलन, हि०प्र०, पिन-173212बैंक व रोकड़ बही अंतर

ग्राम पंचायत जौणाजी के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि (Own Source), क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP), राज्य आपदा राहत कोश (SDRF), 5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC), विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.), विकास में जन सहयोग (V.M.J.S), स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.), मुख्यामंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY), 14 वां वित्त आयोग (14th FC)	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित सोलन	101234029000041	489971.04
2	5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC), सभा निधि (Own Source),	Indusind बैंक सोलन	100201245832	163511.00
3	सभा निधि (Own Source), 13 वां वित्त आयोग (13th FC), स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.)	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित सोलन	101234001000772	19497.00
4	एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम (IWMP)	भारतीय स्टेट बैंक जौणाजी	33619133059	156006.60
5	राजीव आवास योजना पूर्ववर्ती अटल आवास योजना (RAYEAAAY)	भारतीय स्टेट बैंक जौणाजी	11521992489	2351.00
6	14 वां वित्त आयोग (14th FC), सभा निधि (Own Source),	HDFC बैंक सोलन	50100154267655	45788.00
7	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	Indusind बैंक सोलन	151792246080	1308181.50
जोड़				2185306.14
हस्तगत शेष (ख)				0.00
कुल जोड़ (क + ख)				2185306.14
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-				2248052.45
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				2185306.14
अंतर :-				62746.31

-34- 35



सचिव Hemant Kumar
ग्राम पंचायत, जौणाजी

(परिशिष्ट "८" पैरा संख्या " 7 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत जौणाजी, वि०ख० व जिला सोलन, हि०प्र० - 173212

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत जौणाजी में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

गया है :-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 8,800.00	516	₹ 100.00	₹ 51,600.00	₹ 60,400.00	₹ 48,800.00	₹ 11,600.00
2023-24	₹ 11,600.00	516	₹ 100.00	₹ 51,600.00	₹ 63,200.00	₹ 47,400.00	₹ 15,800.00
नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि 15800 है।							




Hemant Kumar
ग्राम पंचायत, जौणाजी

परिशिष्ट " ६ " , पैरा संख्या " 8.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत जौणाजी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 03/2024 में विभिन्न निर्माण कार्यो पर प्रयोग की गई खनन सामग्री ₹ 3.70 लाख की सूचि

कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	बा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ० / दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी	ट्रांजिट पास में अंकित बस्तु का भार (टन)
1 R/R Path Sehal	Kanwar Transport	XVFC/2022- 23/P/30 - 30.08.2022	233 / 13.08.2022	Bajri	300 CFT	60	18900.00	उपलब्ध नहीं है
2 R/R Path Sehal	Kanwar Transport	XVFC/2022- 23/P/31 - 30.08.2022	232 / 13.08.2022	Sand	300 CFT	55	17325.00	उपलब्ध नहीं है
3 C/o Check Dam Daria Manoo	Kanwar Transport	IWDP/2022- 23/P/10 - 22.08.2022	204 / 02.05.2022 203 / 01.04.2022 223 / 06.07.2022 224 / 06.05.2022 222 / 05.07.2022 221 / 05.07.2022 220 / 05.07.2022 219 / 05.07.2022	Sand Sand Stone Stone Stone Stone Stone Stone Sand	300 CFT 300 CFT 1000 CFT 1000 CFT 1000 CFT 1000 CFT 1000 CFT 1000 CFT 600 CFT	55 55 40 40 40 40 40 40 55	17325.00 17325.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 34650.00	उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है उपलब्ध नहीं है
4 C/O Community Center Darah Manhoo	Kanwar Transport	VMJS/2022-23/P/2 - 25.08.2022	230 / 10.08.2022	Bajri Sand	500 CFT 400 CFT	60 55	54600.00	उपलब्ध नहीं है
कुल राशी					370125.00			



सचिव
ग्राम पंचायत, जौणाजी

Arvind Kumar

परिशिष्ट " ८ " , पैरा संख्या " ३.२ " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत जौणाजी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 03/2024 में पत्थरों के क्रय हेतु
भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती की सूचि

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा (cum)	मूल्य दर (cum)	मूल्य	कटौती दर	रिक्तियां (Voids)
अनुदान शीर्ष : IWDP									
1	Kanwar Transport	IWDP/2022-23/P/10 - 22.08.2022	223 / 06.07.2022	Stone	300 CFT	55	17325.00	12.50%	2165.63
2			224 / 06.05.2022	Stone	300 CFT	55	17325.00	12.50%	2165.63
3			222 / 05.07.2022	Stone	1000 CFT	40	42000.00	12.50%	5250.00
4			221 / 05.07.2022	Stone	1000 CFT	40	42000.00	12.50%	5250.00
5			220 / 05.07.2022	Stone	1000 CFT	40	42000.00	12.50%	5250.00
कुल राशि									20081.25



साधिव शैलेश कुमार
ग्राम पंचायत, जौणाजी

परिशिष्ट " ई " , पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत जौणाजी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 03/2024 के जोड़चरों में खेत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.06 लाख की वसूली न करने की सूची

कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	वार्ड सं ० / दिनांक	बिल सं ० / दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी	कटौती की दर	स्रोत पर कर की राशी (₹)
1 C/o Check Dam Darha Manoo Kanwar Transport		IWD/P/2022- 23/P/10 - 22.08.2022	204 / 02.05.2022	Sand	300 CFT	55	17325.00	2%	346.50
			203 / 01.04.2022	Sand	300 CFT	55	17325.00	2%	346.50
			223 / 06.07.2022	Stone	1000 CFT	40	42000.00	2%	840.00
			224 / 06.05.2022	Stone	1000 CFT	40	42000.00	2%	840.00
			222 / 05.07.2022	Stone	1000 CFT	40	42000.00	2%	840.00
			221 / 05.07.2022	Stone	1000 CFT	40	42000.00	2%	840.00
			220 / 05.07.2022	Stone	1000 CFT	40	42000.00	2%	840.00
			219 / 05.07.2022	Sand	600 CFT	55	34650.00	2%	693.00
कुल राशी									5586.00



रहस्य Hemant Kanwar
ग्राम पंचायत, जौणाजी

(Handwritten signature)

परिशिष्ट " 5 " पैरा संख्या " 8.4.18.5 के संदर्भ में

ग्राम पंचायत जौणाजी द्वारा बिना मूल खिलों के ₹ 1.83 लाख की सामग्री के भुगतान की सूची जिसका एक वर्ष के उपरान्त भी समायोजन नहीं किया गया है व राशि ₹ 1.83 लाख के मूल खिल अंशेष में प्रस्तुत की गयी

अनुदान	क्रम संख्या	कार्य का नाम	रोकड़ बही वॉचर संख्या / दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	चालान संख्या / दिनांक	भद्र का नाम	मात्रा	आपूर्तिकर्ता	राशि	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या
15TH FC	1	Repair and Restoration of Path Sehla	XVFC/2023-24/P/14-06.08.2022	NA	1126 / 06.08.2022	Cement	145/170 Beg	HPSCSC LTD	51895.50	70 / 06.08.2022
15TH FC	2	Additional amount for toilet CC Drain	XVFC/2023-24/P/15-06.08.2022	NA	1126 / 06.08.2022	Cement	25 Beg / 170 Beg	HPSCSC LTD	8947.50	70 / 06.08.2022
15TH FC	3	Link road Gaon Bhajan Lal, Ram ratan ke khar se Krishan dutt house	XVFC/2023-24/P/16-15.08.2022	NA	1127 / 07.08.2022	Cement	60 Beg / 240 Beg	HPSCSC LTD	21474.00	70 / 12.08.2022
15TH FC	4	R/R babadi Shewthe Dantki	XVFC/2023-24/P/17-15.08.2022	NA	1127 / 07.08.2022	Cement	25 Beg / 240 Beg	HPSCSC LTD	8947.00	70 / 12.08.2022
15TH FC	5	Construction of Nali drainage water waste pipe Dantki	XVFC/2023-24/P/18-15.08.2022	NA	1127 / 07.08.2022	Cement	75 Beg / 240 Beg	HPSCSC LTD	26843.00	70 / 12.08.2022
15TH FC	6	Repair of path Thundo to Vijay House	XVFC/2023-24/P/19-15.08.2022	NA	1127 / 07.08.2022	Cement	50 Beg / 240 Beg	HPSCSC LTD	17895.00	70 / 12.08.2022
15TH FC	7	R/R of path Sehla	XVFC/2023-24/P/20-15.08.2022	NA	1127 / 07.08.2022	Cement	30 Beg / 240 Beg	HPSCSC LTD	10737.00	70 / 12.08.2022
SDP	8	Repair of Govt. Primary School Jaunaji	SDP/2023-24/P/32-19.03.2024	NA	26535 / 18.03.2024	Cement	60 Beg / 100 Beg	HPSCSC LTD	22012.20	
SDP	9	Expension of Play Ground GSS Jaunaji		NA		Cement	40 Beg / 100 Beg	HPSCSC LTD	14674.80	
कुल राशि									183426.00	



शहजि शेरवत, जौणाजी
ग्राम पंचायत, जौणाजी

शहजि शेरवत

-139-

48

श्रीम. पंचायत बीणाजी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 03/2024 में औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना कार्य किये गये सामग्री/स्लैब का ₹ 8.58 लाख की की सूची

परिशिष्ट " 51 " के संख्या " 8.6 " के सन्दर्भ में

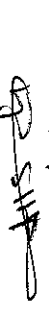
कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	वार्ड सं. / दिनांक	वित्त सं. / दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी	टिप्पणी
1 Additional amount for Toilet Community center Dhanh	Shubh Nirman Gar	XVFC/2022-23/P/13-02.08.2022	35/2022-23-26.07.2022	One Piece Seat	3500	630	19510.00	बिना निविदा लिए भुगतान की गई दर का कोई व्योरा उपलब्ध नहीं है। नतीजा व अनिवारित भुगतान करना
				EW C Seat	1010	181.8		
				Long Band	180	3240		
				Cistern	1250	225		
				ZET	350	63		
				Flange	15	27		
				PVC Connection	180	97.2		
				Angle cock	390	280.8		
				Long Body	450	162		
				Bib cock	430	154.8		
				Pillar Cock	550	99		
				Waste Coupling	390	70.2		
				Waste Pipe	250	45		
				Corner	500	90		
				Bracket	100	36		
				Fastners	25	18		
				Soapdish	350	126		
				Jali	55	29.7		
2 Link road Gaon Bhajan Lal Ram Ratan ke Khar se Krishan Dutt House.	Amar Dutt Sharma Contractor	XVFC/2022-23/P/21-15.08.2022	NA / 12.08.2022	PVC Plug	3	8.64	2106.00	बिना निविदा लिए भुगतान की गई दर का कोई व्योरा उपलब्ध नहीं है। नतीजा व अनिवारित भुगतान करना
				White Cement	30	16.8		
				CP Nipple	60	108		
				Misel Plumber	60	10.8		
				Tank Nipple	100	18		
				G.I. Fitting	60	172.8		
				Nipple	3750	54		
				151 Ballcock Rod and 15mm Ball	550	99		
				Ball Valve	348	125.28		
				Carriage of Cement	60	NA		
				Carriage of Cement	25	NA		
3 R/R Babod Shewtha Damkri	Amar Dutt Sharma Contractor	XVFC/2022-23/P/22-15.08.2022	NA / 12.08.2022	Carriage of Cement	75	NA	2632.00	बिना निविदा लिए भुगतान की गई दर का कोई व्योरा उपलब्ध नहीं है। नतीजा व अनिवारित भुगतान करना
4 Damkri	Amar Dutt Sharma Contractor	XVFC/2022-23/P/23-15.08.2022	NA / 12.08.2022	Carriage of Cement	50	NA	1755.00	
5 Repair of path Thundo to Vijay house	Amar Dutt Sharma Contractor	XVFC/2022-23/P/24-15.08.2022	NA / 12.08.2022	Carriage of Cement	30	NA	1053.00	
6 R/R Path Sehla	Amar Dutt Sharma Contractor	XVFC/2022-23/P/25-15.08.2022	NA / 12.08.2022	Carriage of Cement	25	NA	727.00	
7 Additional amount for Toilet Community center Dhanh	Amar Dutt Sharma Contractor	XVFC/2022-23/P/26-15.08.2022	NA / 06.08.2022	Carriage of Cement	145	NA	4220.00	
8 R/R Path Sehla	Amar Dutt Sharma Contractor	XVFC/2022-23/P/27-15.08.2022	NA / 06.08.2022	Carriage of Cement	145	NA	4220.00	



सचिव श्रीम. पंचायत, बीणाजी

9	Additional amount for Toilet Community center Dranh	Sahni Trader	XVFC/2022-23/P/28 - 24.08.2022	378/13/06/2022	Epoxy Tile Grout 1kg Epoxy Tile Grout 5kg Toilet Cleaner Screw Driver Tile Grout Dhoti Tasla Plastic	3 423.73 1 2033.9 1 25.41 1 42.37 2 59.32 5 19.05 2 127.12	4590	दो अखबारों में निविदायें की मांग हेतु विज्ञापन ना देना व बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
10	C/Road Panawa tank to Vidya dutt house Panewa via Sood Devta Mandir	Kanwar Transport	XVFC/2022- 23/P/29 - 26.08.2022	231 / 12.08.2022	JCB WORK 07.08.2022 JCB WORK 08.08.2022 JCB WORK 09.08.2022 JCB WORK 10.08.2022 JCB WORK 11.08.2022	10 Hrs 900 08 Hrs 900 10 Hrs 900 10 Hrs 900 08 Hrs 900	48852.00	बिना निविदा लिए भुगतान की गई दर का कोई व्योरा उपलब्ध नहीं होना व अनियमित भुगतान करना
11	R/R Path Sehla	Kanwar Transport	XVFC/2022- 23/P/30 - 30.08.2022	233 / 13.08.2022	Bajri	300 CFT	18900.00	बिना निविदा लिए भुगतान की गई दर का कोई व्योरा उपलब्ध नहीं होना व अनियमित भुगतान करना
12	R/R Path Sehla	Kanwar Transport	XVFC/2022- 23/P/31 - 30.08.2022	232 / 13.08.2022	Sand	300 CFT	17325.00	बिना निविदा लिए भुगतान की गई दर का कोई व्योरा उपलब्ध नहीं होना व अनियमित भुगतान करना
13	C/o Check Dam Darha Manoo	Kanwar Transport	IWDP/2022- 23/P/10 - 22.08.2022	204 / 02.05.2022 203 / 01.04.2022 223 / 06.07.2022 224 / 06.05.2022 222 / 05.07.2022 221 / 05.07.2022 220 / 05.07.2022 219 / 05.07.2022	Sand Sand Stone Stone Stone Stone Stone Stone Sand	300 CFT 55 300 CFT 55 1000 CFT 40 1000 CFT 40 1000 CFT 40 1000 CFT 40 1000 CFT 40 1000 CFT 40 600 CFT 55	17325.00 17325.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 42000.00 34650.00	बिना निविदा लिए भुगतान की गई दर का कोई व्योरा उपलब्ध नहीं होना व अनियमित भुगतान करना
14	Administrative Expanse _ Distribution of Ladoo on event of 15th August	Ranveer Art Sood Sweet	IWDP/2022- 23/P/11 - 22.08.2022 OWN/2022-23/P/15 - 25.08.2028	Cash Memo. 1963 / 18.06.2022 139 / 14.08.2022	Sign Board Moti Chur Ladoo	1000 34 Kgs	1000.00 8568.00	बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना बिना निविदा लिये, अनियमित भुगतान करना
15	C/O Community Center Darah Manhoo	Sahni Trader	VMJS/2022-23/P/2 - 25.08.2022	K/2318 / 29.08.2022	TMT BAR 16 MM TMT BAR 20 MM TMT BAR 08 MM TMT BAR 12 MM Labour TMT BAR 10 MM Binding Wire Labour Bajri Sand	562.20 Kg 61.95 586.00 Kg 61.95 252.80 Kg 63.56 93.80 Kg 60.59 1 448.31 1406.4 62.97 9.12 Kg 100.01 1 420.34 500 CFT 60 400 CFT 55	110130.00 105910.00 54600.00	बिना निविदा लिए भुगतान की गई दर का कोई व्योरा उपलब्ध नहीं होना व अनियमित भुगतान करना
16		Sahni Trader		K/2326 / 29.08.2022				
17		Kanwar Transport		230 / 10.08.2022				




 Hemant Kumar
 सचिव
 ग्राम पंचायत, जौनखली

592

18	Repair link road Jaunaji to avarag Bukhar	Kanwar Transport	SDP/2023-24/P/29 - 13.03.2024	373 / 04.02.2024	JCB Work 01.02.2024	10 Hrs	900		बिना निविदा लिए भुगतान की गई दर का कोई व्योरा उपलब्ध नहीं है। अतिरिक्त भुगतान करना
19		Ranveer Art		2801 / 15.02.2024	Sign Board	1	1700	1700.00	बिना निविदा लिखे, अतिरिक्त भुगतान करना
20	Repair of Link Road Rehlihar to Shael	Kanwar Transport	SDP/2023-24/P/30 - 13.03.2024	376 / 11.02.2024	JCB Work 08.02.2024	10 Hrs	900	30798.00	बिना निविदा लिए भुगतान की गई दर का कोई व्योरा उपलब्ध नहीं है। अतिरिक्त भुगतान करना
21		Ranveer Art		2803 / 15.02.2024	Sign Board	1	1700	1700.00	बिना निविदा लिखे, अतिरिक्त भुगतान करना
22	Repair of Link Road Kanah Bajnal	Kanwar Transport	SDP/2023-24/P/31 - 13.03.2024	374 / 07.02.2024	JCB Work 05.02.2024	11 Hrs	900	32922.00	दो अखबारों में निवीदाएं की मांग हेतु बिनापन ना देना
23		Ranveer Art		2803 / 15.02.2024	Sign Board	1	1700	1700.00	बिना निविदा लिखे, अतिरिक्त भुगतान करना
24	Repair of Govt. Primary School Jaunaji	Amar Dutt Sharma Contractor	SDP/2023-24/P/32 - 19.03.2024	NA / 29.03.2024	Carriage of Cement	60	NA	2288.00	बिना निविदा लिए भुगतान की गई दर का कोई व्योरा उपलब्ध नहीं है। अतिरिक्त भुगतान करना
25	Expension of Play Ground GSS Jaunaji	Amar Dutt Sharma Contractor		NA / 29.03.2024	Carriage of Cement	40	NA	1525.00	बिना निविदा लिखे, अतिरिक्त भुगतान करना
26	Comman Cervise Center GP Jaunaji	Joginder Pal & Brothers	5THSFC/2023-24/P/22 - 28.03.2024	2761 / 21.03.2024	Door wood	1	6000	39176.00	
27				MT-5047 / 23.03.2024	Windows	16	1700		
28	Comman Cervise Center GP Jaunaji	Mital Traders	5THSFC/2023-24/P/23 - 28.03.2024	MH-8043 / 15.03.2024	Glass 2440*1300*5 mm	110.25 Ft	55		
					Glass 2440*1140*4mm	48 Ft	45		
					Glass Putlin	500 Kg	40	10700.00	
					Wooden Beading	150 Ft	5		
					Nails 19 Nos.	250 Kg	180		
					Hinges	32	20		
					Hinges	6	30		
					Gate Hook	8	40		
					Door Stopper	2	80		
					Screw Driver	300	2		
					Screw Driver	300	1		
					Aldrop	1	150		
					Locking Bolt	1	50	6514.00	
					Carriage Bolt	8	5		
					Handle	4	40		
					Door Spring	1	220		
					Tower Bolt	32	36		
					Tower Bolt	3	54		
					Handle	16	36		
					Ply	1	810		

बिना निविदा लिए भुगतान की गई दर का कोई व्योरा उपलब्ध नहीं है।
अतिरिक्त भुगतान करना



सचिव, अवरकमिशनर
ग्राम पंचायत, जाऊजी

415-25
अवरकमिशनर

29	Comnan Cervise Center GP Jaunaji	Mital Traders	5THSFC/2023-24/P/23 - 28.03.2024	MH-7271 / 12.02.2024	Corner Beading	100 RFT	3	3550.00	बिना निविदा लिए भुगतान की गई दर का कोई व्योरा उपलब्ध नहीं होना व अनियमित भुगतान करना
30	Gram Sabha Jalpan	Not available	OWN/2023-24/P/54 - 14.03.2024	NA / 14.03.2024	Corner Beading Jaali Diamand Jaali Diamand Favicol 500 Ggm. Velcro disc 80 nos. PVC Sleeve 50mm Screw 35*8 PVC Sleeves 35 mm Tea Samosa	130 RFT 40 SFT 18 SFT 3 15 1 Box 1 Box 2 Pkts 124 Cup 62 Nos	NA	1860.00	बिना निविदा लिये व भुगतान किसे किया गया है का व्योरा ना देने के कारण अनियमित भुगतान करना
31	GP Jaunaji Office expanse	Chet Ram Amar Chind	OWN/2023-24/P/56 - 20.03.2024	6441 / 04.09.2023	Mug Coffe Jag Steel Cooler Bath Mug Bucket 15 Ltrs Bucket 20 Ltrs Reem	2 Set 1 Pc 1 Pc 1 Pc 1 Pc 1 Pc 3 nos.	305 325 2410 223 34 120 135 270	4337.00	बिना निविदा लिये व भुगतान किसे किया गया है का व्योरा ना देने के कारण अनियमित भुगतान करना
32		Mahajan Traders		13454 / 18.03.2024				810.00	
33	GP Jaunaji Office expanse	Ranveer Art	OWN/2023-24/P/57 - 26.03.2024	2400 / 24.03.2024	Borad writing	1	1200	1200.00	बिना निविदा लिये व भुगतान किसे किया गया है का व्योरा ना देने के कारण अनियमित भुगतान करना
कुल राशी								857882.00	



सचिव

ग्राम पंचायत, जौनजी

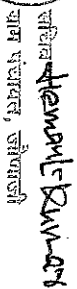
Hemant Kumar

- 467

४. पैरा संख्या " ८.५

五

क्र०	शीर्ष	कार्य का नाम	प्राक्कलन	स्वीकृति वर्ष	तकनीकी स्वीकृति सं०/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति सं०/ दिनांक	स्वीकृत राशि	कुल व्यय राशि	लाकाया/ अधिक व्यय राशि	भाप पुस्तिका / पृष्ठ संख्या	कार्य स्थिति	कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1	15 वॉ बिजुत आयोग	Add. Amount For Toilet Community Center Drain (BDC)	उपलब्ध नहीं है	2020-21	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	95000.00	87991.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
2	15 वॉ बिजुत आयोग	Repair of Prati Senal	उपलब्ध नहीं है	2020-21	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	306425.00	112590.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
3	15 वॉ बिजुत आयोग	Link Road Gagon Bhajan Lal Ram Rattan Se	उपलब्ध नहीं है	2022-23	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	100000.00	23580.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
4	15 वॉ बिजुत आयोग	Cons Of Nail Drainage Water Waste	उपलब्ध नहीं है	2020-21	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	153751.00	29475.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
5	15 वॉ बिजुत आयोग	Repair And Restoration Barwa	उपलब्ध नहीं है	2020-21	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	56000.00	9925.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
6	15 वॉ बिजुत आयोग	Repair of Patti Thunda To Vijay House	उपलब्ध नहीं है	2020-21	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	100000.00	19550.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
7	15 वॉ बिजुत आयोग	C/O Road Panewa Tank to Vidya	उपलब्ध नहीं है	2022-23	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	95000.00	48852.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
8	WMS	C/O Community Center Barah Manhu	उपलब्ध नहीं है	2022-23	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	1000000.00	375240.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
9	WDP	C/O Check Dam Darah Manoh	उपलब्ध नहीं है	2022-23	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	500000.00	495000.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
10	SDP	R/O Link Road Jaunaji TO Dayag Bukhar	उपलब्ध नहीं है	2023-24	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	50000.00	49500.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
11	SDP	R/O Link Road Rethidhar To Sheel	उपलब्ध नहीं है	2023-24	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	50000.00	49500.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
12	SDP	R/O Link Road Kanah Bajnal	उपलब्ध नहीं है	2023-24	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	50000.00	49000.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
13	SDP	C/O Expansion OF Playgroud GSSS Jaunaji	उपलब्ध नहीं है	2023-24	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	100000.00	16500.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
14	SDP	R/O Repair of Govt Primary School Jaunaji	उपलब्ध नहीं है	2022-23	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	100000.00	24300.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
15	5th Slats	coman Service Center	उपलब्ध नहीं है	2022-23	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	500000.00	352932.00	0.00	उपलब्ध नहीं है	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
16	MNREGA	C/o Anganwadi Dayag Bukhar	उपलब्ध नहीं है	2021-2022	1311005192/2022-2023/65880/TS, 30/05/2022	1311005192/2022-2023/65880/AS, 30/05/2022	50000	17808	0	26/60.60	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
17	MNREGA	Cow Shed ,vermicompost & Fruit Plantation Anjana Sharma MM I Brijha Yojna Panewa	उपलब्ध नहीं है	2020-2021	1-2022/23870/TS, 20/04/2021	1311005192/2021-2022/23870/AS, 20/04/2021	100000	6360	0	26/68	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
18	MNREGA	C/o Tank Sukh Dev Kanah	उपलब्ध नहीं है	2021-2022	2-2023/57273/TS, 24/05/2022	1311005192/2022-2023/57273/AS, 24/05/2022	150000	45792	0	26/62.68, 70.71, 76	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
19	MNREGA	C/o Cow Shed Amar Dutt Panewa	उपलब्ध नहीं है	2021-2022	3-2024/62510/TS, 27/02/2024	1311005192/2023-2024/62510/AS, 27/02/2024	100000	60772	0	71/69.78	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है



452

545

20	MNREGA	C/o Tank Haman Singh Damkari	उपलब्ध नहीं है	2021-2022	1311005192/2021-2022/21983/TS, 19/02/2022	150000	21412	0 26/24,31	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
21	MNREGA	Land Development Indu Sharma(M M 1 Bigha Yojna) Bandreth	उपलब्ध नहीं है	2021-2022	1311005192/2021-2022/21983/TS, 19/02/2022	100000	61420	0 26/52,59,62,63	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
22	MNREGA	C/o Anrit Sarovar GP Jaunaji	उपलब्ध नहीं है	2021-2022	1311005192/2021-2022/21983/TS, 19/02/2022	300000	133348	0 26/60,61,64,70	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
23	MNREGA	C/o Cow Shed Yashwant s/o Rajender Kumar Duranh	उपलब्ध नहीं है	2022-23	1311005192/2021-2022/21983/TS, 19/02/2022	100000	61020	0 71/21,27,30,52	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
24	MNREGA	C/o Danga (Wall) Subhash s/o Ramnand Duranh under Land Development	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	1311005192/2021-2022/21983/TS, 19/02/2022	100000	63720	0 71/31,41,51,60	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
25	MNREGA	C/o Cow Shed Geeta Ram Kanah	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	1311005192/2021-2022/21983/TS, 19/02/2022	100000	36000	0 71/36,50,62	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
26	MNREGA	C/o Danga (Wall) Sunil Kumar s/o Day: Kam Farah under Land Development	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	1311005192/2021-2022/21983/TS, 19/02/2022	100000	47124	0 71/35,40,49	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
27	MNREGA	C/o Danga (Wall) Nareesh Kumar s/o Inler Dutt Danga Bukhar under Land Development	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	1311005192/2021-2022/21983/TS, 19/02/2022	100000	63720	0 71/34,38,42,54	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
28	MNREGA	C/o Cow Shed Amar Dutt s/o Roop Ram Phalai	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	1311005192/2021-2022/21983/TS, 19/02/2022	100000	33120	0 71/43,47,54	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
29	MNREGA	C/o Cow Shed Son Dutt s/o Roop Ram Phalai	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	1311005192/2021-2022/21983/TS, 19/02/2022	100000	39120	0 71/43,47,55	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
30	MNREGA	C/o Cow Shed Satya Devi w/o Anur Singh Damkari	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	1311005192/2021-2022/21983/TS, 19/02/2022	100000	8400	0 71/52	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
31	MNREGA	C/o Cow Shed Bimla Devi w/o Jagdish Phalai	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	1311005192/2021-2022/21983/TS, 19/02/2022	100000	27600	0 71/45,57	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
32	MNREGA	C/o Danga (Wall) Jagdish Chand s/o Nand Lal Dangi Under Land Development	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	1311005192/2021-2022/21983/TS, 19/02/2022	100000	27860	0 71/53,57	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है



 सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार

 सचिव, Ministry of Rural Development, Government of India

-46-

32	MNREGA	C/o Danga (Wall) Mohan Singh s/o Sohan Lal Damlani under Land Development	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	1311005192/2023-2024/9213/TS, 16/01/2024	1311005192/2023-2024/9213/AS, 16/01/2024	1000000	45000	0 71/39,46,57	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
34	MNREGA	C/o Danga (Wall) Amar Singh s/o Manisya Ram Damlani under Land Development	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	3-2024/26455/TS, 02/02/2024	1311005192/2023-2024/26455/AS, 02/02/2024	1000000	10080	0 71.59	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
35	MNREGA	C/o Danga (Wall) Dayal Dutt s/o Lachitu Ram Damlani under Land Development	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	3-2024/51463/TS, 20/02/2024	1311005192/2023-2024/51463/AS, 20/02/2024	1000000	16320	0 71/64	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
36	MNREGA	C/o Danga (Wall) Jai Prakesh s/o Dhani Ram Falehi under Land Development	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	1311005192/2023-2024/1082/TS, 16/01/2024	1311005192/2023-2024/1082/AS, 16/01/2024	1000000	44160	0 71/44,44,59	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
37	MNREGA	C/o Danga (Wall) Sant Ram s/o Rati Ram Darani under Land Dev	उपलब्ध नहीं है	2023-2024	3-2024/15355/TS, 20/01/2024	1311005192/2023-2024/15355/AS, 20/01/2024	1000000	29679	0 71/53,61,68,76	अपूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
कुल राशि							2581999.00					



जिलाधिकारी
जलंधर, पंजाब

Handwritten signature

परिशिष्ट " ८ " , पैरा संख्या " 10.1 " के संदर्भ में
 ग्राम पंचायत जौनानी द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के व्ययित माह 08/2022 व 03/2024 में व्यय किये गये ₹ 3.04 लाख की सामग्री की सूची जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	बाण सं ० / दिनांक	बिल सं ० / दिनांक	भंड का नाम	मात्रा	दर	राशि
1 Additional amount for Toilet Community center Drah	Shubh Nirman Gar	XVFC/2022-23/P/13 - 02.08.2022	35/2022-23 - 26.07.2022	One Piece Seat	3500	630	19510.00
				EW/C Seat	1010	181.8	
				Long Band	180	3240	
				Cistern	1250	225	
				ZET	350	63	
				Flange	15	27	
				PVC Connection	180	97.2	
				Angle cock	390	280.8	
				Long Body	450	162	
				Bib cock	430	154.8	
				Pillar Cock	550	99	
				Waste Coupling	390	70.2	
				Waste Pipe	250	45	
				Corner	500	90	
				Bracket	100	36	
				Fastners	25	18	
				Soapdish	350	126	
				Jali	55	29.7	
				PVC Plug	3	8.64	
				White Cement	30	16.8	
				CP Nipple	60	10.8	
				Msel Plumber	60	10.8	
				Tank Nipple	100	18	
				G.I. Fitting	60	172.8	
				Nipple	3750	54	
				151 Ballcock Rod and 15mm Ball	550	99	
				Ball Valve	348	125.28	



सहिल Hemal Kumar
 ग्राम पंचायत, जौनानी

(Signature)

2	Additional amount for Toilet Community center Dranh	Sahni Trader	XVFC/2022-23/P/28 - 24.08.2022	378/13/06/2022	Epoxy Tile Grout 1kg Epoxy Tile Grout 5kg Toilet Cleaner Screw Driver Tile Grout Dhoti Tasta Plastic	3 1 1 1 2 5 2	423.73 2033.9 25.41 42.37 59.32 19.05 127.12	4590
3	C/O Community Center Darah Manhoo	Sahni Trader	VMJS/2022-23/P/2 - 25.08.2022	K/2318 / 29.08.2022	TMT BAR 16 MM TMT BAR 20 MM TMT BAR 08 MM TMT BAR 12 MM Labour	562.20 Kg 586.00 Kg 252.80 Kg 93.80 Kg 1	61.95 61.95 63.56 60.59 448.31	110130.00
4		Sahni Trader		K/2326 / 29.08.2022	TMT BAR 10 MM Binding Wire Labour	1406.4 9.12 kg 1	62.97 100.01 420.34	105910.00
5	Comnan Cervise Center GP Jaunaji	Joginder Pal & Brothers	5THSFC/2023- 24/P/22 - 28.03.2024	2761 / 21.03.2024	Door wood Windows	1 16	6000 1700	39176.00



 सचिव Hemant Kumar

 ग्राम पंचायत, जौनाजी

-100-

6				MT-5047 / 23.03.2024	Glass 2440*1300*5 mm Glass 2440*1140*4mm Glass Pultr Wooden Beading Nails 19 Nos. Hinges Hinges Gate Hook Door Stopper Screw Driver Screw Driver Aldrop Locking Bolt Carriage Bolt Handle Door Spring Tower Bolt Tower Bolt Handle Ply Corner Beading Corner Beading Jaali Diamond Jaali Diamond Favicol 500 Ggm. Velcro disc 80 nos. PVC Sleeve 50mm Screw 35*8 PVC Sleeves 35 mm Mug Coffe Jag Steel Cooler A/Copper Bath Mug Bucket 15 Ltrs Bucket 20 Ltrs	110.25 Ft 48 Ft .500 Kg 150 Ft .250 Kg 32 6 8 2 300 300 300 1 1 1 8 4 1 32 3 16 1 100 RFT 130 RFT 40 SFT 18 SFT 3 15 1 Box 1 Box 2 Pkts 2 Set 1 Pc 1 Pc 1 Pc 1 Pc 1 Pc 1 Pc	55 45 40 5 180 20 30 40 80 2 1 150 50 5 40 220 36 54 36 810 3 4 22 22 170 10 70 75 40 305 325 2410 223 34 120 135	10700.00 6514.00 3550.00 4337.00
7	Comman Cervise Center GP Jaunaji	Mital Traders	5THSFC/2023- 24/P/23 - 28.03.2024	MH-8043 / 15.03.2024				
8				MH-7271 / 12.02.2024				
9	GP Jaunaji Office expanse	Chet Ram Amar Chand	OWN/2023-24/P/56 - 20.03.2024	6441 / 04.09.2023				
					304417.00			

50



श्री अमर चंद
ग्राम पंचायत, गुजरात

415

(परिशिष्ट " ठ " पैरा संख्या " 13 " 1 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत जौणाजी, वि०ख० व जिला सोलन हि०प्र० पिन- 173212

ग्राम पंचायत जौणाजी द्वारा निम्नलिखित आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना :-

क्र० सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक	रोकड़ बही पृ० सं०
1	राहुल	02.05.2022	27.05.2022	₹ 200.00	₹ 200.00	259582	27.05.22	3
2	दीपक	10.05.2022	27.05.2022	₹ 200.00	₹ 200.00	259583	27.05.22	3
3	राजीव	04.07.2022	19.07.2022	₹ 200.00	₹ 200.00	259584	19.07.22	4
4	राजिंदर	26.05.2022	20.07.2022	₹ 400.00	₹ 400.00	259585	20.07.22	4
5	दीपक	09.07.2022	22.07.2022	₹ 200.00	₹ 200.00	259586	22.07.22	4
6	रोहित	31.07.2022	17.08.2022	₹ 200.00	₹ 200.00	259590	17.08.22	4
7	यशपाल	03.08.2022	23.08.2022	₹ 200.00	₹ 200.00	259591	23.08.22	6
8	चमन लाल	30.11.2022	09.01.2023	₹ 400.00	₹ 400.00	259314	09.01.23	1
9	धीरज कुमार	10.02.2023	20.02.2023	₹ 200.00	₹ 200.00	259321	20.02.23	2
10	शुभम कश्यप	09.03.2023	18.03.2023	₹ 200.00	₹ 200.00	264501	18.03.23	4
11	अंकुश	09.03.2023	20.03.2023	₹ 200.00	₹ 200.00	264502	20.03.23	4
12	अक्षय कुमार	08.06.2023	23.06.2023	₹ 200.00	₹ 200.00	264555	23.06.23	5
13	निहाल ठाकुर	09.06.2023	28.06.2023	₹ 200.00	₹ 200.00	264556	28.06.23	5
14	उमेश तंवर	01.07.2023	19.08.2023	₹ 400.00	₹ 400.00	264564	19.08.23	4
15	पार्थ	28.08.2023	13.09.2023	₹ 200.00	₹ 200.00	264568	13.09.23	1
16	निखाल	23.09.2023	17.10.2023	₹ 200.00	₹ 200.00	264576	17.10.23	1
17	मनोज	25.09.2023	17.10.2023	₹ 200.00	₹ 200.00	264577	17.10.23	1
18	इशांत	26.09.2023	16.11.2023	₹ 400.00	₹ 400.00	264589	16.11.23	5
19	बिनोद	19.11.2023	12.12.2023	₹ 200.00	₹ 200.00	264590	12.12.23	2
20	येशपल	29.11.2023	20.03.2024	₹ 400.00	₹ 400.00	186501	20.03.24	3
21	पंकज	31.01.2024	26.03.2024	₹ 400.00	₹ 200.00	186554	26.03.24	4
22	रजत	28.02.2024	15.03.2024	₹ 200.00	₹ 200.00	186812	15.03.24	2
कुल योग				₹ 5,400.00	₹ 5,200.00			



सचिव Hemant Kumar
ग्राम पंचायत, जौणाजी